न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 142/2021

सद्दीक पुत्र अतरू जाति मेव निवासी खेडलीकाजी तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. ईमान पुत्र इस्लाम जाति मेव निवासी सहसन तहसील पहाडी
2. अमरूदी पत्नी ईशव
3. अरसीदा
4. फरमीना
5. रूकसीना पुत्रीयान ईशब
6. सब्बा पुत्र ईशब नाबालिगान बली सरपस्त माता स्वयं अमरूदी पत्नी ईशव जाति मेव निवासी सहसन तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
8. उपपंजीयक महोदय, पहाडी तहसील पहाडी

फौरमल पक्षकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मौहम्मद खाँ वकील वादी

दिनांक :– 18/03/2024

निर्णय

प्रतिवादी संख्या सब्बा नाबालिग है जो अपनी माता अमरूदी के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रही है। इसके अलावा अन्य कोई पक्षकार नाबालिग एवं फातरूल अक्ल नहीं है। वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी मुतदाविया खाता संख्या 17 का खसरा नम्बर 800/0.31 हैक्टर बांके ग्राम हुलताना हाल ग्राम पंचायत लाडलाका तहसील पहाडी में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। पूर्व में वादी के बुर्जुग भी ग्राम सहसन में ही रहते थे परन्तु बाद में ग्राम खेडलीकाजी में आकर बस गये और ग्राम खेडलीकाजी ग्राम पंचायत लाडलाका में आती थी परन्तु अभी अरसा करीब अढाई वर्ष पूर्व राजसरकार के परसीमन के कारण ग्राम खेडलीकाजी को ग्राम पंचायत मूंगस्का में सम्मलित कर दिया गया है और जिस गांव हुलताना में विवादित आराजी है वह ग्राम पंचायत लाडलाका में लगता है। आराजी मुतदाविया प्रतिवादी संख्या 2 अमरूदी के ससुर चाव खां के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी चाव खां ने आराजी मुतदाविया को अपने जीवन काल में ही अरसा करीब 50 वर्ष पूर्व वादी के पिता अतरू को 1400/–रूपये में बेच दिया था और कब्जा भी वादी के पिता अतरू को उसी समय दे दिया गया था और तभी से

Scanned with OKEN Scanner

वादी का पिता व अब वादी उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है और वादी व वादी के भाईयों ने अपनी पैत्रिक आराजी के साथ–साथ पिता वादी की सहमति से आराजी का भी बंटवारा कर लिया जो वादी के हिस्से में आई है इस कारण वादी आराजी मुतदाविया पर कब्जे काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है इस कारण वादी के पिता अतरू व प्रतिवादनी संख्या 2 के ससुर के मध्य आपस विश्वास था इस वजह से आराजी मुतदाविया का इकरारनामा व वयनामा नहीं लिखाया गया था प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर चाव खां के एक ही पुत्र ईशब था जो फौत हो चुका है इस कारण आराजी का विरासत का दाखिल खारिज प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम खोला गया जो खिलाफ काननू व मौका है प्रतिवादनी संख्या 2 करीब 25 साल पूर्व ग्राम सहसन को छोडकर किसी दीगर जगह अपने बच्चों के साथ रह रही है जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। परन्तु आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी के चाचा का लडका है जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा करना चाहता है और कहता है कि उक्त आराजी में उसका भी हिस्सा है जबकि आराजी वादी के पिता ने नकद रकम देकर खरीद किया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30/09/2021 को ऐलानिया धमकी ग्राम हुलताना में दी है कि आराजी मुतदाविया पर अपने परिवार के सहारे लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा करके रहूंगा और प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को ढूंढकर लाऊंगा व आराजी को अपने नाम करवा लूंगा। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से नहीं हो सकेगी। विनाय मुखास्मत दिनांक 30/09/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा धमकी देने व दोयम दिनांक 01/10/2021 को नकल जमाबन्दी लेने पर ग्राम हुलताना तहसील पहाडी अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। अतः निवेदन है कि आराजी मुतदाविया वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र को प्रतिवादीगण किसी दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल ना करे कब्जे काश्त वादी की उक्त आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया तो सम्मनों पर तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सहसन में नहीं रहना बताया एवं इनका कोई अता पता नहीं होना अंकित किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की तलबी जरिये अखबार साया की गई । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये।

दावा में पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सद्दीक, पी0डब्लू0 2 हाफिज, पी0डब्लू0 3 उम्मर के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये।

बहस वकील वादी बहस सुनी । वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया है ।

Scanned with OKEN Scanner

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी ने अपने दावे की मद संख्या 4 में अंकित किया है कि आराजी मुतदाविया प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर चाव खां के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी चाव खां ने आराजी मुतदाविया को अपने जीवन काल में ही अरवा करीब 50 वर्ष पूर्व वादी के पिता अतरू को 1400/– (एक हजार चार सौ) रूपये में बेच दिया था। वादी ने अपने दावे में ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो सके की आराजी मुतदाविया को प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर चाव खां ने वादी के पिता अतरू को आराजी मुतदाविया को अरसा करीब 50 वर्ष पूर्व बेच दिया हो। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 का अवलोकन किया विवादित आराजी के प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 रिकॉर्डेड खातेदार है । ऐसी स्थिति में वादी अपने दावे को साबित कराने में असफल रहा है । उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 142/2021

सद्दीक पुत्र अतरू जाति मेव निवासी खेडलीकाजी तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. ईमान पुत्र इस्लाम जाति मेव निवासी सहसन तहसील पहाडी
2. अमरूदी पत्नी ईशव
3. अरसीदा
4. फरमीना
5. रूकसीना पुत्रीयान ईशब
6. सब्बा पुत्र ईशब नाबालिगान बली सरपस्त माता स्वयं अमरूदी पत्नी ईशव जाति मेव निवासी सहसन तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
8. उपपंजीयक महोदय, पहाडी तहसील पहाडी

फौरमल पक्षकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा** वादी खारिज किया जाता है।

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X .... तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.03 सन् 2023 को जारी की गई ।

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	......	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	......		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner